न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 429 सन 2018
अनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र परिक्षित जाति जाट निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. परिक्षित पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
2. बंशीलाल 3 खेताराम 4 रायसिह पि0 परिक्षित जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. सन्तोष 6 शारदा पुत्रीया परिक्षित जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 14.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा ढाणीलाल खां के खाता संख्या 26 के खसरा न0 111 मीन की 115.012 बीधा एवं खाता संख्या 28/78 के खसरा न0 44 मीन की 65.15 बीधा खसरा न0 110 मीन की 30.04 बीधा कुल 96.00 बीधा भूमि थी जो पूर्व में वादी के दादा बुधराम पुत्र रतीराम के नाम से दर्ज थी बुधराम पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज भूमि के नये खसरा न0 खसरा न0 111 मीन की 115.12 बीधा के नये खसरा न0 186 बना एवं 44 मीन के नये खसरा न0 63 ,124/1 ,124/2 ख124/3 में पैमुद हुये है। एवं खसरा न0 110 मीन के खसरा न0 185/1 व 185/2 में परिवर्तन हुई है।

वादगसत भूमि पूर्व में वादी के दादा बुधराम पुत्र रतीराम की फौतदगी उसके पुत्रगण परिक्षित, धनराम, जगमाल , महेन्द्र पर औद हुई है तथा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 56/49 के खसरा न0 185/3 की 5.577हैक भूमि हिस्सा में आई एवं रोही मोजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 57/50 के खसरा न0 182/2 की 27.7460हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा में बहिब यानि 6.9365हैक भूमि हिस्सा में आई है।

वाद भूमि विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आने से वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बरबार का हक हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बुधराम पुत्र रतीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रो पर औद हुई औंर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसके हिस्से में वाद भूमि आई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने भी स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है जो शामिल किया गया।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बुधराम पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई है जिनके बहामी बटवारा होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने स्वीकार किया गया है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसके सम्बध में राजीनामा भी पेश हो चुका है। इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की आपसी सहमति व साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादी आपसी सहमति व साक्ष्य सबुतो कें आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 56/49 के खसरा न0 185/3 की 5.5770हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 57/50 के खसरा न0 186//2 की 27.7460हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)